

विषय:- आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संबंध में मंत्री समूह द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में आगामी 30 दिवस में प्रारम्भ की जाने वाले गतिविधियों के संबंध में।

नेमी टीप
यू.ओ. क्रमांक डब्ल्यू-02 / 557 दिनांक 02/11/2020

प्रमुख सचिव म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की टीप क्रमांक 449/डी-8 दिनांक 22.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) में प्रदत्त निर्देशानुसार सुशासन सेक्टर से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त अनुशंसाओं पर आगामी 30 दिवस में परिणाम मूलक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

कृत कार्यवाही की साप्ताहिक समीक्षा प्रशासकीय अधिकारी स्तर से की जायेगी।


संलग्न: 1. प्रमुख सचिव महोदय की टीप

2. सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश दिनांक 21.9.2020 तीन पृष्ठ (संचालक द्वारा आदेशित)


29.10.2020
(विकास अवस्था)
प्रशासकीय अधिकारी

प्रति,

1. समस्त प्रकोष्ठ/शाखा प्रभारी वाल्मी भोपाल।
2. निज सहायक, संचालक कक्ष वाल्मी भोपाल।
3. गार्ड नस्ती/वेबसाईट समिति, वाल्मी भोपाल।


29.10.2020
प्रशासकीय अधिकारी

विषय :

आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के संबंध में मंत्री समूह द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में आगामी 30 दिवस में प्रारंभ की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में।

संदर्भ : सा.प्रशा.वि. का पत्र क्र. एफ 11-12/2020/1/9
दिनांक 21.09.2020

-0-

विषयांतर्गत आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के संबंध में मंत्री समूह द्वारा प्रस्तुत विभाग से संबंधित अनुशंसाएं जिनमें आगामी 30 दिवस में गतिविधियां प्रारंभ की जाकर परिणाम मूलक कार्यवाही किया जाना है। सुशासन सेक्टर से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त अनुशंसाएं संलग्न कर प्रेषित हैं। कृपया इन अनुशंसाओं पर आगामी 30 दिवस में परिणाम मूलक कार्यवाही प्रारंभ करना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(सचिन सिन्हा)

प्रमुख सचिव

म.प्र. शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आर.आर.डी.ए.।
2. संचालक, पंचायतराज संचालनालय।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मनरेगा परिषद।
4. संचालक, वाल्मी।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एसआरएलएम।
6. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन।
7. संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन।
8. राज्य समन्वयक, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद।
9. संचालक, पीएमएवाय/ रूरबन मिशन।
10. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा।
11. संचालक, सामाजिक अंकेक्षण।
12. संचालक, एसआईआरडी, जबलपुर।
13. संयुक्त आयुक्त, स्थापना (वि-2)।
14. अवर सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 11-12/2020/1/9
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21/09/2020

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त संभागायुक्त
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त कलेक्टर
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:-आत्म निर्भर मध्यप्रदेश-2020 के संदर्भ में सुशासन सेक्टर से संबंधित अनुशंसाओं पर 30 दिवस में कार्यवाही आरंभ करने बाबत।

संदर्भ:-इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 11-19/2016/1/9 दि. 19.05.2018 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 11-39/2017/1/9 दि. 24.10.17

-0-

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें। आत्म निर्भर मध्यप्रदेश-2020 के संदर्भ में सुशासन सेक्टर से संबंधित सरल क्रमांक-4(अनुशंसा क्रमांक-14) अंतर्गत शासन में बेहतर पारदर्शिता(डिजिटलीकरण, नॉलेज मैनेजमेंट, हितग्राहियों की सूची) संबंधी अनुशंसा के बिन्दु क्रमांक-1 रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण एवं डाटा शुद्धता के संबंध में निर्देश जारी करना बिन्दु क्रमांक-2 बेस्ट प्रैक्टिस, केस स्टडीज, नवाचार संकलन हेतु निर्देश जारी करना चिह्नित किया गया है।

2/ निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त संलग्न तालिका में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।।

संलग्न उपरोक्तानुसार:-

(सुनील मंडावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

5/11/20
400 helpline
6442
29/09/2020

निरंतर...2/

(2)

भोपाल, दिनांक 21/09/2020

पृष्ठा. एफ 11-12/2020/1/9
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र.
4. मान.मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.
5. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर भोपाल।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
7. महनिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
8. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
9. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव(स्थापना)/अधीक्षण मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल।
11. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
13. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन भोपाल।
14. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
15. सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश इन्दौर।
16. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल।
17. सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल।
18. मुख्य सचिव के.उप सचिव मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
19. महाधिवक्ता, उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ इन्दौर, ग्वालियर।
20. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल।
21. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
22. मुख्य लेखाधिकारी मंत्रालय, भोपाल।
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल।
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ म.प्र. की ओर सूचना

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग

"सुशासन" सेक्टर से संबंधित अनुशासार्थ जिन पर आगामी 30 दिवस में परिमाणमूलक कार्य प्रारंभ किए जाने हैं :-

स.क्र.	अनुशास क्रमांक	अनुशास (आउटकम)	चिन्हित बिंदु
1	8	शासकीय कर्मियों को आईटी के उपयोग हेतु दक्ष बनाना	1. I.T. में दक्षता वृद्धि हेतु अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची बनाना।
2	9	सरकारी अधिकारियों को नवीनतम तकनीक/तथ्यों के साथ खुद को अपडेट रखना	1. प्रदेश के उपयोग संबंधि नवीनतम टेक्नोलॉजी, तथ्यों एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस की सूची तैयार करना।
3	10	वल्लभ भवन में ई-ऑफिस / केन्द्रीकृत डाक व्यवस्था का क्रियान्वयन	1. ई-ऑफिस प्रणाली की अध्ययन स्थिति का आकलन करना।
4	14	शासन में बेहतर पारदर्शिता (डिजिटलीकरण, नोलेज मैनेजमेंट, हितवाहियों की सूची)	1. रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण एवं डाटा शुद्धता के संबंध में निर्देश जारी करना। 2. Best practices, Case studies, नवाचार संकलन हेतु निर्देश जारी करना।
5	18	नागरिकों के लिए Ease of Living (Know your entitlement, लैंड टाइटल, लाइसेंस/परमिट, फेसलेस संपर्क)	1. विभागों में अधिकारों/शक्तियों के प्रत्यायोजन (delegation of powers) हेतु निर्देश जारी करना।
6	19	व्यापक केंद्र समीक्षा	1. जानकारी संलग्न हेतु निर्देश जारी करना।
7	21	आवश्यकता एवं सक्षमता का आकलन	1. आवश्यकता एवं सक्षमता का आकलन हेतु निर्देश जारी करना।
8	22	पदोन्नति हेतु कौशल क्षमता में वृद्धि को तरजीह	1. पदोन्नति हेतु कौशल क्षमता में वृद्धि को तरजीह दिए जाने हेतु निर्देश जारी करना।
9	24	सेवा निवृत्ति पर देय स्वत्यों का एकमुश्त भुगतान	1. अगले 03 वर्षों में सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारी/ कर्मचारियों की पहचान करना।